CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

Shri Raghunath Singh (Varanasi) I beg to move

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam) I want to know how that Bill can get priority when it has been classified afterwards only The first item in the Order of Business should come first According to that, if one was classified in the previous day, it should take priority

Mr Deputy-Speaker: The priority has to be considered among Bills of one class The priority that we had fixed previously was among B category Bills Now there is a Bill before us which is in A category That must have priority over B category Bills

Shri T. B. Vittal Rao: We must follow the Order Paper

Mr. Deputy-Speaker: Now that the House has adopted the motion, we have to give effect to it immediately and not after some time The other Bill has been classified into B But this has been classified into A category So this Bill has to get priority

Shri Raghunath Singh: I beg to move

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

उपाध्यक्ष महोदय : जो विधेयक मै ने उपस्थित किया है वह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । अभी करीब ६ वर्ष पहले हम ने एक ड्राफ्ट कास्टीच्यूशन उपस्थित किया था जिसको देखने से हमे यह पता चलता है कि उस ड्राफ्ट कास्टीच्यूशन के पेज १८ पर आर्टिकल ४६ मे यह दिया हुआ है —

"A person who holds or who has held office as President shall be eligible for re-election to that office once, but only once"

दो चीजो का एक्सपेरीमेंट इस दुनिया मे हुआ है । अमरीका में १७८९ में जार्ज वाशिंगटन के समय में पहला कन्वेंशन हुआ था । उसमें जो ड्राफ्ट उपस्थित किया गया था उसमे यह कहा गया था कि प्रेसीडेंट का टर्म एक टर्म से ज्यादा नही होना चाहिये । अमरीका ने १६० वर्ष तक प्रयोग किया । प्रयोग करने के पश्चात् वह इसी निष्कर्ष पर पहुचा । उन्होने सन् १९५१ में आर्टिकल २२ के द्वारा अपने कास्टीच्यूशन मे सशोधन किया । उस सशोधन के पश्चात् आज जो अमरीका का सविधान है उस के अनुसार वहा का राष्ट्रपति केवल दो टर्म के लिये राष्ट्रपति हो सकता है । दूसरा उदाहरण इस सम्बन्ध मे हमारे सामने फ्रास का है । तीसरी रिपब्लिक के समय सन् १८७७ में आ कर उन्होने भी अपने कास्टीच्यूशन मे यह सशोधन कर लिया कि दो टर्म से ज्यादा फ्रास का कोई राष्ट्रपति नही हो सकता । अब यह कहा जायेगा कि यह दोनो उदाहरण पश्चिम के हैं । मं आप के सामने पूर्वी देशो के उदाहरण देना चाहता हू । एशिया में पाकिस्तान का जो कास्टीच्यूशन है इसमें आप देखेंगे कि उसके आर्टिकल ३२ सबसेक्शन (४) मे यह दिया हुआ है

No person shall hold office as President for more than two terms"

पाकिस्तान ने सन् १९५६ में आज से पहले एक वर्ष जो कास्टीच्यूशन पास किया है, उसमे भी उसने अपने प्रेसीडेंट को दो टर्म से ज्यादा चुने जाने का अधिकार नही दिया है। एशिया के दूसरे देश बर्मा का भी उदाहरण हमारे सामने है। बर्मा ने भी अपने कास्टीच्यूशन मे इसी चीज को रखा है ।

Shri R. Ramanathan Chettiar (Pudukottai) He refers to the Pakistan Constitution But under the Pakistan Constitution nobody other than one belonging to the Islamic faith can become President

Mr. Deputy-Speaker: We are discussing the term of the President.

श्री रघुनाथ सिंह : बर्मीज कांस्टिट्यूशन में, जो कि सन् १९४८ में पास हुआ है, आर्टिकल ४८, सब सक्शन (२) में है :

"No person shall serve as President for more than two terms".

एक दूसरे कांस्टिट्यूशन का मैं हवाला देना चाहता हूं । जिस के कारण कि मैं ने इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित किया है । वह कांस्टिट्यूशन चीन का है । उस के आर्टिकल ३९ में है :

"The term of office of the Chairman of the People's Republic of China is four years."

यह आर्टिकल सिद्धान्ततः भारत जैसा ही है, भारतीय संविधान का आर्टिकल ५७ इस प्रकार है :

"A person who holds or who has held office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office"

अर्थात् हिन्दुस्तान का यह आर्टिकल चाइना के आर्टिकल के बराबर है । जिस प्रकार चाइना में राष्ट्रपति के समय की अवधि नहीं रक्खी गई है । उसी प्रकार से हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रपति के समय की कोई अवधि नहीं रक्खी गई । लेकिन अगर चाइना में इस की अवधि होती कि प्रेजिडेंट को सिर्फ दो टर्म्स का राइट होगा । दो टर्म्स से ज्यादा वहां का चेअरमैन चुनाव के लिये नहीं खड़ा हो सकता । आज चाइना में डिक्टेटरशिप नहीं होती । चाइना में भी डिमाक्रेसी होती । क्योंकि राष्ट्रपति का परिवर्तन होता । नये नये आदमी आते । और नई नई पालिसीज होती ।

आज मेरा जो अमेंडमेंट आप के सामने है, वह एक बहुत छोटी सी चीज है । वह इस प्रकार से है :

"No person shall be elected to the office of President more than twice consecutively except in the duration of any war."

इस संशोधन में, अमरीका ने आर्टिकल २२ के द्वारा अपने यहां जो संशोधन किया, या फ्रांस का जो आर्टिकल है प्रेजिडेंट के टर्म के बारे में, उस से थोड़ा अन्तर है । अन्तर यह है कि अमरीका के आर्टिकल के द्वारा अगर लड़ाई छिड़ जाये, तब भी प्रेसिडेंट का एलेक्शन होगा । मैं कहता हूं कि नहीं । अगर युद्ध छिड़ जाये तो यह चुनाव नहीं होना चाहिये । हमारा लोकतंत्र अभी एक नया लोकतंत्र है । अभी हम लोकतंत्र का एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं । इसीलिये हम ने ऐसी अवस्था में अमरीका से यह अन्तर रक्खा है है कि यदि युद्ध की स्थिति हो देश म और एलेक्शन का टाइम आ जाये, तो दो टर्म्स से ज्यादा भी वह खड़ा हो सकता है । साथ ही मैं ने इसे थोड़ा उदार बनाया है । इस दृष्टि से उदार बनाया है । अभी लोकतंत्र का एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि कोई बहुत अच्छा आदमी है । इसलिये हम उस को कुछ दिनों के लिये शासन का अधिकार दें । फिर भी हमें यह अधिकार हो कि हम उस चेन को ब्रेक कर दें । अगर आप उस को ब्रेक नहीं करते और कुछ दिनों तक एक नेता के हाथ में शासन रह जाये तो वह अधिनायकवाद को जन्म दे सकता है । इस लिये मैं ने कहा कि दो कंजिक्यटिव टर्म के बाद एक टर्म का गैप दे कर वह आदमी फिर खड़ा हो सकता है । इस अमेंडमेंट में आप देखेंगे कि जो कांस्टिट्यूशन फ्रांस का है, या जो अमरीका का है, या पाकिस्तान का है, या बर्मा का है, उन सब का समन्वय इस में आ जाता है ।

अब आप कहेंगे कि आखिरकार हिन्दुस्तान के अन्दर इस संशोधन की क्या आवश्यकता उत्पन्न हुई ? क्यों मैं ने चाहा कि मैं अपने यहां के कांस्टिट्यूशन में यह अमेंडमेंट उपस्थित करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय . अब माननीय सदस्य अगली दफा अपना वक्तव्य जारी रक्खें ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SEVENTH REPORT

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): I beg to present the Seventh Report of the Business Advisory Committee.

5-30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 24th August, 1957.